न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र संख्या : 175/2018
RCMS Case No. 2018/00213

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1 महेन्द्रसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपूत निवासी साण्डिया तहसील सोजत		1 चम्पालाल पुत्र अन्नराज जाति जैन सांखला निवासी साण्डिया 2 ग्राम पंचायत साण्डिया जरिये सरपंच

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 (3) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

1. श्री महेन्द्र नारायण ओझा, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री सुरेन्द्र वैष्णव, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

–: निर्णय :–

दिनांक 23/10/2018

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 (3) राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत प्रस्तुत कर निगरानी संख्या 08/2017 महेन्द्रसिंह बनाम चम्पालाल में पारित निर्णय दिनांक 12.12.2017 को पुनर्विलोकित करने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर पुनर्विलोकनाधीन आदेश तथ्यों के विपरित पारित किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं है। जैर पुनर्विलोकनाधीन निर्णय में यह अंकित किया गया है कि पंचायत द्वारा जो पट्टा जारी किया गया है, वो सही है, जबकि यह बिन्दु था कि अप्रार्थी ने 22 बाई 47 फुट के पट्टे की मांग की थी, किन्तु पट्टा साढे 71 फुट बाई 47 फुट का जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। पट्टा बनाने की मिसल पंचायत में है ही नहीं एवं सूची कागजात 1से 13 बताया गया है व कागज 16 पेज होना बताए गए है, जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए है, वे समस्त प्रतिलिपीयां है, जिन पर सरपंच या ग्राम सेवक के हस्ताक्षर ही नहीं है। उक्त भू–खण्ड पर पंचायत द्वारा प्रार्थी के पक्ष में मकान निर्माण की स्वीकृति जारी की है व बिजली, पानी के सम्बन्ध भी प्रार्थी के नाम है, जो प्रार्थी को मालिक मानते हुए जारी किया गया है। इन तथ्यों को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेखांकित नहीं किया है। इसके अतिरिक्त माननीय न्यायालय ने प्रार्थी के पक्ष में निर्माण स्वीकृति जारी की व बेचान सही है अथवा गलत है, के सम्बन्ध में कोई जांच करने के सम्बन्ध में आदेश पारित नहीं किया है एवं जो बेचान प्रस्तुत किया गया है, जो कानून के अनुसार रजिस्टर्ड नहीं है व बिना रजिस्टर्ड दस्तावेज 100/– रूपये से अधिक का बेचान कानून की दृष्टि से शून्य है, जिसके सम्बन्ध में भी न्यायालय ने अपनी राय प्रकट नहीं की है। उक्त समस्त तथ्यों पर न्यायालय द्वारा किसी प्रकार से गौर नहीं किया जाकर जैर पुनर्विलोकनाधीन

अति० जिला कलक्टर, पाली

निर्णय पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें एवं न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.12.2017 को रिव्यू करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी के पक्ष में जो पट्टा जारी किया गया है, वह विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। स्वयं विकास अधिकारी द्वारा पट्टा जारी करने के आदेश दिये गये थे, जिसकी पालना में समस्त प्रक्रिया अपनाते हुए प्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, तो अप्रार्थी संख्या 2 को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा दस्तावेजात क अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों पर मनन किया। जैर पुनर्विलोकनाधीन आदेश का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत साण्डिया के प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 02.05.1984, जो मिसल संख्या 8/1982–1983 में जारी पट्टा संख्या 1 दिनांक 12.05.1984 को निरस्त कराने का निवेदन किया। इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रक्रिया अनुसार सुनवाई की जाकर प्रकरण में दिनांक 12.12.2017 को निर्णय पारित किया जाकर निगरानी खारिज की गई। इस सम्बन्ध में आर0आर0टी0 2007 (2) पेज 1143 नीलकांत व अन्य बनाम उत्तमचन्द व अन्य में यह प्रतिपादित किया कि "नजरसानी की शक्तियों का उपयोग साक्ष्य का पुनः परीक्षण अथवा निर्णय पुनः लिखने हेतु नहीं किया जा सकता है। अभिलेख के आमुख पर प्रत्यक्ष त्रुटीयों को ही सही किया जा सकता है।" इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0आर0टी0 2005 (1) पेज 545 सुरेन्द्र कुमार वकील बनाम सी0ई0ओ0 एम0पी0 में यह प्रतिपादित किया कि "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 आदेश 47 नियम 1 – नजरसानी बिन्दु जो सुना और निर्णीत हो चुका है– निर्णय में लिया गया दृष्टिकोण गलत हो सकता है, किन्तु नजरसानी के लिये आधार नहीं हो सकता।" हस्तगत प्रकरण पर उक्त सिद्धान्त पूर्णतः चस्पा होते है। पुनर्विलोकन की परिधी में प्रकरण को नये सिरे से निर्णित नहीं किया जा सकता है एवं जहां तक संभव हो, रिव्यू की आड में निर्णय में परिवर्तन भी नहीं किया जा सकता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 (3) के तहत सारहीन पाया जाता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 (3) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर निगरानी संख्या 48/2017 के नत्थी हो।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 23/10/18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली